प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
फैजाबाद, औरैया, गोण्डा, वाराणसी, मेरठ, सुल्तानपुर
गाजियाबाद, अमेठी एवं मुरादाबाद ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 31 अगस्त, 2016**

विषय- विधान परिषद के वे सदस्य, जो विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने गये है, के पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा छोड़ी गयी विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की अव्ययित/अवशेष धनराशि का उत्तरवर्ती सदस्यों में आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-16-06(बजट)/2015, दिनांक-12.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदों के विधान मण्डल के दोनों सदनों के 504 सदस्यों में से 499 मा0 सदस्यों के लिये प्रति सदस्य रू0 75.00 लाख की दर से कुल धनराशि रू0 3,64,87,15,958.00 (रूपये तीन अरब चौसठ करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार नौ सौ अठ्ठावन मात्र) स्वीकृत निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के संलग्नक **'ब'** की सूची के क्रमांक-11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 व 24 पर उल्लिखित मा0 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल दिनांक-06.07.2016 को समाप्त हो गया है एवं जनपद-अम्बेडकर नगर, उन्नाव, हरदोई, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, फर्रूखाबाद, बिजनौर एवं सन्तकबीर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मा0 सदस्यों के पक्ष में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,41,66,945.00 (रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख छांछठ हजार नौ सौ पैतालिस मात्र) की धनराशि अव्ययित है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अव्ययित धनराशि को विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-3.10(अ) की व्यवस्था

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अनुसार बराबर-बराबर नव-निर्वाचित सदस्यों में वितरित की जा रही है, जो निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार नव-निर्वाचित मा0 सदस्यों के द्वारा व्यय की जायेगी:-

क्रमांक	विधान परिषद सदस्य का नाम (सर्वश्री)	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)
1.	जगजीवन प्रसाद	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	फैजाबाद	15.74105
2.	डा0 कमलेश कुमार पाठक	तदैव।	औरैया	15.74105
3.	रणविजय सिंह	तदैव।	गोण्डा	15.74105
4.	शतरूद्र प्रकाश	तदैव।	वाराणसी	15.74105
5.	अतर सिंह	तदैव।	मेरठ	15.74105
6.	दिनेश चन्द्रा	तदैव।	सुल्तानपुर	15.74105
7.	सुरेश कुमार कश्यप	तदैव।	गाजियाबाद	15.74105
8.	दीपक सिंह	तदैव।	अमेठी	15.74105
9.	भूपेन्द्र	तदैव।	मुरादाबाद	15.74105
कुल धनराशि				**141.66945**

(कुल रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख छांछठ हजार नौ सौ पैतालिस मात्र)

4- उक्त शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-16-06(बजट)/2015, दिनांक-12.05.2016 में उल्लिखित शर्तें/व्यवस्था यथावत् रहेगी।

5- तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक-12.05.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 45/2016/458 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सम्बन्धित मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।

4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।

7- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

10- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

11- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

13- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।